

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/07.2022:- आज यह पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पेशी कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र मे आगामी कार्यवाही नही करना चाहती व प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर विद्वा किया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुनील सिंह बूक द्वारा की गई। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़